31.1.19 पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित, उभयपक्षो ने बहस करनी चाही। बहस सुनी गई, वादीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस मे बताया कि प्रार्थीगणो को अस्थाई निषेधाज्ञा नही मिली तो उसे अपूरणीय क्षति होगी।

मैंने पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो एंव प्रार्थीगणो के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया जाकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.A. के तहत मूल वाद पत्र के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है दिनांक 3.2.14 के आदेश को पुरस्थापित किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद पत्र के साथ सलग्न हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा